

23/9/19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी की ओर से
ब्रिफ होल्डर वकील मोहनलाल गिल्लेरी उप।
विभागीय की तलबी हेतु राजि. ए.डी. नोटीस
पेश करते का प्रयाप्त इत्यर्थ देने के बावजूद
नोटीस पेश नहीं किये। अतः पूर्व में जारी
लिखत अन्तर्गत अध्यापी निषेधाज्ञा खारिज
की जाती है। पत्रावली वाले तलबी इत्यादि
होकर शिर्डी दिनांक 30/9/19 को पेश हो

दीक्षित

30/9/2019

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची उप।
मूल वाद ~~अप~~ न्यायालय के आदेश की
अपालना से खारिज हो चुका है। मूल
वाद खारिज होने से शिर्डी में आगे की
कार्रवाई का कोई शोचिल नहीं रहता।
अतः प्राची का शिर्डी में आगे की
अपालना से खारिज किया जाता है। पत्रावली
केवल युक्त होय दाखिल कराए।

सहायक कलेक्टर
शिर्डी